23/8/16 वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रतिपक्षगण/विपक्षीगण अनुपस्थित नहीं
(सूचना) न्यायहित में अग्रिम अनुपस्थिति नहीं
है। पत्रावली दिनांक 29/9/2016 को पेश हो।

SDO

29.9.16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/विपक्षीगण
अधिकारी [illegible] पत्रावली,
दिनांक 3.10.16 को पेश हो।

3.10.16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/विपक्षीगण
अधिकारी [illegible] कारण
पत्रावली दि. 13.12.16 को पेश हो।

12.12.16 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित/विपक्षीगण
अधिकारी [illegible] कारण
पत्रावली दिनांक 14.2.17 को पेश हो।

14.2.17 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बार बार
अवसर लगाने उपरान्त भी कोई उपस्थित
नहीं हुई ऐसी स्थिति में प्रकरण आगे
चलाना उचित व प्रीतिकर नहीं होता है।
वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र 09 R9 CPC
सपठित धारा 151 CPC खारीज किया
जाकर पत्रावली केसल रूमाट रेकर नम्बर
से कम हो।

S.D.O.
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)